महानिदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

अपील

हमारा देश भारत अनेक समृद्ध भाषाओं से परिपूर्ण है। जैसा कि विदित है कि संविधान लागू होने से पहले देश की संविधान सभा ने 14 सितंबर, **1949** को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अंगीकार एवं स्वीकार किया है इसलिए, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन "हिंदी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। आज राजभाषा हिंदी समन्वय की वह कड़ी बन गई है जो सारे भारतीयों को भाषाई रूप से एक-दूसरे से जोड़े हुए है।

कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के चलते भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों ने वेबिनार एवं आभासी बैठकों को हिंदी भाषा के माध्यम से आयोजित कर सभी देशवासियों को इस कठिन समय में जोड़े रखा है एवं इनका आयोजन हिंदी भाषा में होने के कारण जागरूकता कार्यक्रमों से अधिकाधिक नागरिकों को महत्वपूर्ण सूचना मिली है और वे इससे लाभान्वित हो सके हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य में सरकार की योजनाओं को समझने में राजभाषा हिंदी ने सरकार और आम जनता के बीच सेतु का कार्य किया है।

आज विश्वभर में कंप्यूटर और सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया जारी है। असंख्य वेबसाइट/साफ्टवेयर/टूल्स लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान उपलब्ध करवाने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते कदमों के साथ-साथ हिंदी भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आज कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने में कोई बाधा नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों व विभागों को निदेश दिए हैं कि मंत्रालय से किए जाने वाले समस्त पत्राचार केवल हिंदी में ही किए जाएं। बल द्वारा मंत्रालय के इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सभी कार्यालयों में कार्यालयीन कामकाज लगभग शत-प्रतिशत हिंदी में किया जा रहा है।

हिंदी दिवस के अवसर पर मैं समस्त बल पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपना शासकीय कार्य इसी प्रकार हिंदी में करते हुए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे और सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए दूसरों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे।

जय हिंद ।

सुरजीत देसवाल

(सुरजीत सिंह देसवाल)
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 14 सितम्बर, 2020